दिनांक	आदेश या कार्यवाही हस्ताक्षर सहित
23-02-2021	पत्रावली पेश। वकील उभयपक्ष उपस्थित। पुनः बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुताबिक रिपोर्ट भू. अ. नि. पाईपलाईन पूर्व में बिछाई जा चुकी है एवं पाईपलाईन सरकारी खाला के नीचे से होकर गुजर रही है। पाईपलाईन को किसी भी प्रकार की क्षति पहुँचने एवं सरकारी खाला एवं उसके पानी को नुकसान होने की प्रबल संभावना को देखते हुए सहायक अभियंता जल संसाधन उपखंड जैतसर से उक्त के संबंध में रिपोर्ट चाही गई। मुताबिक रिपोर्ट सहायक अभियंता जल संसाधन उपखंड जैतसर, सिंचाई नियमों के अंतर्गत सिंचाई खाले के नीचे पाईपलाईन स्वीकृति की NoC दिया जाना उचित नहीं है। उक्त दस्तावेजों के आधार पर यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा बिना किसी सक्षम स्तर से पूर्वानुमति के सिंचाई नियमों के विरुद्ध पाईपलाईन डाली गई है। अतः प्रार्थी का प्रा. पत्र अंतर्गत धारा 251-A, राज. काश्तकारी अधिनियम, 1955 अस्वीकार किया जाता है। साथ ही सहायक अभियंता जल संसाधन उपखंड जैतसर को यह निर्देशित किया जाता है कि सरकारी संपत्ति को किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो और अन्य काश्तकारों की सिंचाई व्यवस्था में किसी भी प्रकार का व्यवधान पैदा ना हो (खाले में शोरा या लवणीय जल मिलने से) यह सुनिश्चित किया जावे। आदेश सुनाया गया। विस्तृत निर्णय पृथक से संलग्न है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। Puniar उप जिला कलेक्टर श्री विजयनगर

Scanned with CamScanner